RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016–18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३७] गुरुवार, नोव्हेंबर ९ २०१७/कार्तिक १८, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

ग्रामविकास विभाग

बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ७ अक्तूबर २०१७ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXI OF 2017.

AN ORDINANCE
FUTTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES ACT, 1961.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१ सन् २०१७ ।

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१, में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९६२ का महा. ५।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, सन् २०१७ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा १११ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा १११ की उप-धारा (३) में,— सन् १९६२ का ५।

(क) " एक पंचमांश " शब्दों के स्थान में, " दो पंचमांश " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) विद्यमान परन्तुक के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, जिला परिषद की सद्य पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से साठ दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाई नहीं जायेगी :

परन्तु, आगे यह कि, यदि अध्यक्ष को जिला परिषद की पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से साठ दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है तब अध्यक्ष, या तो साठ दिनों के भीतर विशेष बैठक बुला सकेगा या उसके कारणों को अभिलिखित करके अनुरोधको अस्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु, यह भी कि, जब विशेष बैठक बुलाई जाती है तब बैठक की सूचना में जिस दिनांक को बैठक ली जानेवाली है वह दिनांक उल्लिखित करेगा, ऐसा दिनांक सूचना जारी करने के दिनांक से तीस दिनों से बाद का नहीं होगा । "।

वक्तव्य.

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (सन् १९६२ का महा. ५) की धारा १११ जिला परिषद की बैठक के लिये उपबंध करती हैं । उक्त धारा १११ की उप-धारा (३), जिला परिषद की बैठक का दिनांक नियत करने के लिये अध्यक्ष को शक्ति प्रदान करती हैं । यह भी उपबंध किया गया हैं कि, पार्षदों की कुल संख्या के एक-पंचमांश सदस्यों ने लिखित अनुरोध करने पर, जो तत्समय जिला परिषद की किसी बैठक में बैठने या मत देने के लिये हकदार हैं, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से साँत दिनों के भीतर, अध्यक्ष, विशेष बैठक बुलाने की सूचना जारी करेगा । विशेष बैठक बुलाने के लिये एक-पंचमांश पार्षदो की उक्त संख्या कम लग रही हैं, और ऐसी संख्या एक-पंचमांश से बढ़ाकर दो-पंचमांश करने के लिए लोक प्रतिनिधियों से निरंतर माँग भी हो रही हैं ।

२. वर्तमान में, विशेष बैठक की संख्या पर कोई भी निर्बंध नहीं हैं, और इसलिये, विशेष बैठक बुलाने के लिये कई बार अनुरोध किया जाता हैं, जो अध्यक्ष के लिये जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिये अनिवार्य हैं । बडे पैमाने पर विशेष बैठक की बारबांरिता जिला परिषद के दैनिक कारोबार को प्रभावित करती हैं । इसलिये, आवश्यक हैं कि, जिला परिषद की ऐसी विशेष बैठक बुलाने पर कुछ निर्बन्ध होने चाहिये । इसलिये, उक्त अधिनियम से सुसंगत उपबंधों में यथोचित संशोधन द्वारा, विशेष बैठक बुलाने के लिये आवश्यक पार्षदों की संख्या एक-पंचमांश से दो-पंचमांश तक बढायी जाने के लिये उपबंध करने और जिला परिषद की सद्य पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से साठ दिनों के भीतर कोई विशेष बैठक नहीं बुलायी जायेगी, और यदि, अध्यक्ष को साठ दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाने के लिये अनुरोध प्राप्त होते हैं, तब वह, या तो बैठक बुलायेगा या उसके कारणों को अभिलिखित करके अनुरोध का इन्कार करने के लिये यथोचित उपबंध करना इष्टकर समझा गया हैं । इस प्रयोजन के लिये महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) विधेयक, २०१७ (सन् २०१७ का विधान सभा विधेयक क्र. ४०) ११ अक्तूबर २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा में पारित किया गया था और उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद में प्रलंबित हैं । जिला परिषद को दैनिक कारोबार निर्बाध रुप से कार्यन्वित होने की सुनिश्चिति के लिये, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति, अधिनियम, १९६१ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया हैं ।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं ।

मुंबई,
दिनांकित ६ अक्तूबर, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

असीम गुप्ता,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.